न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/405

भंवर लाल आत्मज मथुरा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामविलास आत्मज गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. बृजमोहन आत्मज गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. मु0 कैलाश बाई बेवा गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
4. निर्मला आत्मजा गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. काली पत्नी महाराम जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण कम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बालापुरा तहसील के0 पाटन में कुल 16 किता की 7.21 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है और वह अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । इसी प्रकार ग्राम ठीमली तहसील के0 पाटन में कुल 14 किता की 4. 22 हैक्टर भूमि स्थित है उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम बालापुरा की आराजी कुल 16 किता की कुल रकबा 7.21 हैक्टर में वादीगण का 1/2 हिस्से का पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अमल दरामद किया जावे।

ग्राम ठीमली की आराजी कुल 14 किता की कुल रकबा 4.22 हैक्टर खाता नम्बर 54 में वादीगण का 1/2 है उसका पृथक से विभाजन किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से हिस्सा दर्ज किया जावे ।

4. तत्पश्चात् पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2005 को लिखित राजीनामा पेश किया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 के द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.10.2005 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 भंवरलाल अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित भूमि के रिकॉर्ड में सहखातेदार धापूबाई बेवा मथुरालाल के होते हुए और उसके द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर में कार्यवाही कर स्थगन आदेश पारित किये जाने के बावजूद उक्त तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ वादी के द्वारा वाद का निर्णय करवाया गया है । बंटवारे के बाद में निर्णय के वक्त प्रारम्भिक डिक्री पारित किये बिना ही उक्त वाद का निस्तारण कर दिया गया है जो कि बंटवारा नियामें के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 निरस्त फरमायी जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट से धोखे से राजीनामे पर हस्ताक्षर करवा लिये और उक्त वाद को निर्णित करवाया गया है । चूँकि अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति हैं जिसके द्वारा विश्वास में आकर राजीनामे पर हस्ताक्षर कर दिये हैं । अपीलान्ट को उक्त धोखे से हस्ताक्षर करवाने की जानकारी सर्वप्रथम खाते की नकल दिनांक 12.07.2012 को प्राप्त होने पर ही हो सकी है । उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल दिनांक 26.07.2012 को प्राप्त होने पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा बंटवारे का प्रस्तुत किया गया था । अपीलान्ट के धोखे से राजीनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये थे । अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति है जिनके द्वारा विश्वास में आकर राजीनामे पर हस्ताक्षर किये थे । अपीलान्ट 1/2 हिस्से का खातेदार एवं काबिज काश्त है । जो आराजी पूर्व में बेचान की जा चुकी है उसे रेस्पोडेन्ट के हिस्से से कम करते हुए अपीलान्ट का हिस्सा विभाजन में दिया जावे । अपीलान्ट के खाली पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं । बंटवारे के दावे में प्रारम्भिक डिक्री पारित कये बिना ही दावे का निस्तारण किया है । इन्द्राज दुरूस्ती त्रुटिपूर्ण रूप से की गई है । दिनांक 21.11.2005 को पत्रावली में दिनांक 27.10.2005 तारीख दिया जाना अंकित

किया गया है । जबकि प्रकरण दिनांक 21.11.2005 को लम्बित था, बैक डेट में दिनांक 27.10.2005 को निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा पेश किया गया था । इस राजीनामा में अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर हैं । राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2005 को तस्दीक किया गया था । राजीनामा के पृष्ठ भाग में दिनांक 21.10.2005 को तस्दीक किया जाना अंकित है । आदेशिका में लिपिकीय त्रुटिवश दिनांक 21.10.2005 के स्थान पर 21.11.2005 अंकित कर दिया गया है । अपील मीमो में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये हैं । दिनांक 27.10.2005 को भी अपीलान्ट के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अपील सन् 2005 के निर्णय के खिलाफ सन् 2012 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । यदि अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं थी तो उन्हें अपने अभिभाषक के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए थी । राजीनामे से पारित की गई डिक्री के खिलाफ इस न्यायालय में अपील मेन्टेनेबल नहीं है । *अपीलान्ट यदि ऐसा महसूस करते हैं कि हस्ताक्षर धोखे से करवाये गये हैं तो उन्हें सिविल* न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 (1) (एससी) पेज 708, आरआरडी 1994 पेज 483, डीएनजे 2019 (राज0) पेज 47 उद्धरत की ।

11. अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि जो रूलिंग रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने उद्धरत की हैं वो इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं । दिनांक 17.10.2005 की आदेशिका में दिनांक 21.11.2005 की आगामी तारीख पेशी दी गई है और दिनांक 21.11.2005 से 27.10.2005 तारीख दी गई है । दोनों जगह लिपिकीय त्रुटि नहीं हो सकती ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा पेश किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.10.2005 को तस्दीक किया गया है । इस राजीनामे में अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह कथन किया जा रहा है कि उनके यह हस्ताक्षर धोखे से करवाये गये हैं । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि राजीनामे पर उनके हस्ताक्षर धोखे से करवाये गये हैं तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में अथवा सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए न कि राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री के खिलाफ अपील । आरआरटी 2013 पेज 807 यहॉ चस्पा होती है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह होल्ड किया है कि यदि राजस्व न्यायालय से कपटपूर्ण तरीके से समझौता डिक्री प्राप्त की है तो प्रभावी रूप से कपट के आरोप का अधिनिर्णय करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है । वाद ग्रहण करने की क्षेत्राधिकारिता सिविल न्यायालय को है ।

13. जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 21.11.2005 के उपरान्त दिनांक 27.10.2005 की तारीख नियत करने का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा दिनांक 21.10.2005 को पेश किया गया है और दिनांक 21.10.2005 को ही पीठासीन अधिकारी ने इस

राजीनामे को तस्दीक किया है । ऐसी स्थिति में यही प्रतीत होता है कि लिपिकीय त्रुटिवश दिनांक 27.10.2005 की जगह 27.11.2005 तारीख अंकित की गई है ।

14. अपीलान्ट ने सन् 2005 में पारित समझौते की डिक्री के खिलाफ अपील वर्ष 2012 में पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । दिनांक 21.10.2005 को अपीलान्ट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और दिनांक 27.10.2005 को उनके अभिभाषक उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में इतने लम्बे समय बाद अपील पेश करने का संतोषप्रद कारण भी अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय या सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

16. निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/405

भंवर लाल आत्मज मथुरा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामविलास आत्मज गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. बृजमोहन आत्मज गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. मु0 कैलाश बाई बेवा गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
4. निर्मला आत्मजा गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. काली पत्नी महाराम जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 26/दावा/2004

1. रामविलास आत्मज गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. बृजमोहन आत्मज गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. मु0 कैलाश बाई बेवा गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
4. निर्मला आत्मजा गोबरी लाल मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—वादी

बनाम

1. भंवर लाल आत्मज मथुरा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन ।
3. काली बाई पत्नी महाराम जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील के0 पाटन ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 02.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2005 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय या सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 02.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा